आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 50/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्वनाम ए यू फाइनेन्सर (इंडिया) लिमिटेड) पता–19–A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स रामेश्वर एण्ड कम्पनी जरिये प्रो. रामेश्वर कुमावत,
   पता–101 गोयल नगर, इन्दोर, मध्य प्रदेश
   एवं 55 संविद नगर, इन्दोर, मध्य प्रदेश।
2. रामेश्वर लाल सारडीवाल पुत्र श्री लादूराम,
3. सुनील सारडीवाल पुत्र श्री रामेश्वर सारडीवाल,
4. दीपक कुमार सारडीवाल पुत्र श्री रामेश्वर सारडीवाल,
   पता–11, पूर्णिता कालोनी, गोयल नगर, इन्दोर, मध्य प्रदेश।
5. जोधाराम कुमावत पुत्र श्री छोटूराम कुमावत,
6. श्रीराम कुमावत पुत्र श्री जोधाराम,
7. रमेश चन्द कुमावत पुत्र जोधाराम कुमावत,
8. श्रीमती मैना कुमावत पत्नी श्री श्री राम कुमावत,
   पता–बी–30, शक्ति नगर टौक रोड जयपुर
   एवं पता–11, पूर्णिता कालोनी, गोयल नगर, इन्दोर, मध्य प्रदेश ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act,2002

उपस्थित :–

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री अजिंक्य पाटिल अधिवक्ता अप्रार्थी 1 की ओर से ।

आदेश दिनांक 19.04.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.05.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री जोधाराम कुमावत के

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नं. 30, स्कीम नं. 05, टौंक रोड, जयपुर क्षेत्रफल 322.22 वर्गगज को बन्धक रख कर 1,25,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.10.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजिंक्य पाटिल ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भली भाँति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 सितम्बर 2017 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान बैंक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों की सुनवाई का क्षेत्रधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थी वित्तीय संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 1,25,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन॰ पी॰ ए॰ घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि रूपये 1,36,78,209/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 27.10.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री जोधाराम कुमावत के स्वामित्व की सम्पति प्लॉट नं. 30, स्कीम नं॰ 05, टौंक रोड, जयपुर क्षेत्रफल 322.22 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मजिस्ट्रेट
क्टर) जयपुर

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक **19.04.2022.** को सरे इजलास सुनाया गया।

19/04/22

(राजीव विशाल)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर